फार्म संख्या III
फर्द अहकाम
नियम 20

अज अदालत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, मुकाम बारॉ (राज.)

बउनवान

काल्लूराम उम्र 70 पुत्र देवलाल जाति मीणा निवासी रीछडी जागीर तहसील छबडा जिला बारॉ (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारॉ (रेस्पोडेन्ट)

किस्म :– अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956

स्थगन प्रार्थना पत्र संख्या :– 1/2020

अभिभाषक अपीलांट :– श्री अरविन्द सिंह हाडा अभिभाषक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	नम्बर वता अहकाम जो इस हुक्म को तामील मेजरी हुए
1.1.2020	अपीलांट की ओर से जेर अपील मे स्थगन प्रार्थना पत्र जर्ये विद्वान अभिभाषक पृथक से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के प्रकरण संख्या 61/2018 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित आदेश दिनांक 23.8.2018 की पालना मे अपीलांट को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि अपीलांट का सम्पूर्ण सजा भुगताई गयी तो अपीलांट का यह अपील करना बेकार हो जावेगा एवं अपार क्षति होगी। अपीलांट का अतिक्रमित आराजी पर मौके पर कोई कब्जा नही है ना ही अपीलांट की ओर कोई सरकारी तावान बकाया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना ताफैसला अपील स्थगित रखी जाकर प्रार्थी को उचित जमानत मुचलकों पर रिहा किये जाने के आदेश पारित किये जावे। हमने अपीलांट के अभिभाषक को स्थगन प्रार्थनापत्र पर एकपक्षीय सुना। परिणाम स्वरूप अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी ग्राम रीछडी जागीर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 53 की रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि किस्म गैर मुमकीन खाल से कब्जा छोड दे व बकाया शास्ति जमा करा दे तथा जैल से रिहा किये जाने बाबत् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा के समक्ष 10,000/– रूपये का जमानतनामा व इसी कदर 10,000/– रूपये का स्वंय का मुचलका पेश कर दे, तो तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 61/2018 मे पारित आदेश दिनांक 23.8.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा आगामी आदेश तक स्थगित की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को तहरीर जारी हो। स्थगन प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर होकर, फैसल शुमार हो। प्रार्थनापत्र मूल अपील के साथ संलग्न हो। (मोहम्मद अबूबक्र) अति0 जिला कलक्टर, बारां	

अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohammed Abubakr
Date: 2021.03.01 13:22:11 IST
Reason: SelfAttested